सामाजिक समरसता की परिभाषाएं

- "सामाजिक समरसता को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया हैं, जहां किसी विशेष समाज में लोगों के राष्ट्रीयता, मूल, वैवाहिक स्थिति, जातीयता, रंग, लिंग, जाति, आयु और व्यवसाय आदि की परवाह किए बिना प्रेम, विश्वास, प्रशंसा, शांति, सद्भाव, सम्मान, उदारता को महत्व एवं बढ़ावा दिया जाए।"
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, "सामाजिक समरसता की भावना का विकास करने के लिए विद्यार्थियों में जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, उन्हें स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज, देश और मानवता के लिए त्याग करने की प्रेरणा देना और छात्रों में नैतिकता की भावना को विकसित करते हुए उनके चरित्र को ऊंचा बनाना हैं।"
- जोई स्कोट ने अपने शोध में स्पष्ट किया है कि "किसी समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण, संसाधनों का वर्गीकरण तथा आर्थिक व राजनीतिक विकास में विकेंद्रीकरण का मौजूद होना सामाजिक समरसता को स्थापित करने में भूमिका निभाता हैं।"
- डॉ. राधा कुमद मुखर्जी के अनुसार "समरसता का अर्थ समाज को एकजुट करना एवं पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना है तथा यह कार्य किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं बल्कि यह जागरूक लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही किया जा सकता हैं, तभी जाकर समाज में वास्तविक समरसता का भाव उत्पन्न होना।"
- ऑक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार, "सामाजिक समरसता व्यक्तियों की एक साथ रहने की एकता हैं।"

सामाजिक समरसता का उद्देश्य

सामाजिक समरसता के उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

- समाज से अस्पृश्यता तथा जातीय भेदभावों का जड़ से उन्मूलन करके पारस्परिक सौहार्द्र तथा प्रेम में वृद्धि करनी हैं।
- देश की एकता, अखंडता की बनाए रखना।
- समतामूलक तथा कल्याणकारी समाज की स्थापना करना हैं।
- देश में सामाजिक एकत्व एवं सहअस्तित्व की भावना का निर्माण करना हैं।
- जाति, धर्म से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षित रखना हैं।
- सांप्रदायिकता, आतंकवाद, जातिवाद, उग्रवाद आदि जैसी विघटनकारी शक्तिओं से समाज की रक्षा करते हुए एका एवं अखंडता सुनिश्चित करना हैं।
- सतत् और धारणीय विकास की संकल्पना को आत्मसात करना हैं।

सामाजिक समरसता के घटक

संविधान - संविधान सभा विभिन्न जातीय, धार्मिक और भाषाई रूपों का प्रतिबिंब थी तथा विविध समूह के लोगों ने संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावना में बंधुत्व के उद्देश्य पर जोर दिया तथा समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने का सरकार का कर्तव्य सुनिश्चित किया हैं। अनुच्छेद-14 और अनुच्छेद-15 के माध्यम क्रमश: विधि के समक्ष समानता एवं धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया। नीति-निदेशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों में भी सामुदायिक सौहार्द्र एवं भाईचारा बढ़ाने के माध्यम से सामाजिक समरसता की स्थापना को सुनिश्चित किया।

मीडिया - मीडिया का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक और सभ्य भाषा के रूप में जनहित के मामलों को समाचार, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना हैं। समरसता की स्थापना में मीडिया का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज में किसी भी वर्ग के विरूद्ध होने वाले भेदभाव, हिंसा, असमानता को निष्पक्ष रूप से सरकार एवं जनता के समक्ष प्रस्तुत कर न्याय दिलाने का कार्य करती है। मीडिया ऐसे असामाजिक तत्व जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, अराजकता उत्पन्न करते हैं एवं सामुदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उन सभी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती हैं।

सरकार - संविधान में उल्लेखित नीति-निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन की दिशा में सरकार द्वारा समाज के सुभेद्य एवं वंचित वर्गों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको न्याय, अधिकार एवं समानता सुनिश्चित करके सामाजिक समरसता स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा हैं।

शिक्षा - शिक्षा प्रत्येक सभ्य समाज की रीढ़ होती है तथा यह देश की प्रगति और समृद्धि का सूचक हैं। शिक्षा लोगों के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और भावनात्मक विकास में सहायता करके उनके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। शिक्षा समतामूलक, मानवीयता शांति, सद्भाव, ममत्व, भातृत्व आदि के गुणों का समावेश होना चाहिए जो विद्यार्थियों को भविष्य में होने वाली असमानतस, द्वेष, भेदभाव के साथ होने वाली विघटनकारी गतिविधियों से निपटने में मदद करेगी। औपचारिक शिक्षा प्रणाली द्वारा और समाज के भीतर उपसंस्कृतियों या शांति के द्वीपों के बीच सकारात्मक और पारस्परिक रूप से मजबूत संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता हैं।

परिवार - सामाजिक समरसता के प्रोत्साहन में संस्थागत स्तर के प्रयासों में परिवार इकाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका हैं। परिवार में प्रारंभ से ही बुजुर्गों द्वारा बच्चों को एकता, भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, दया, करूणा, देशप्रेम आदि बातें सिखाई जाती हैं जो भविष्य में उनमें सामाजिक समरसता की भावना को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता हैं।

सामाजिक समरसता को कैसे बढ़ावा दें?

संस्कृति की परिभाषाएं

- प्रसिद्ध मानवशास्त्री एडवर्ड टॉयलर ने सर्वप्रथम संस्कृति शब्द को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिमिटिव कल्चर' (1871) में परिभाषित किया। इसके अनुसार, "संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा जैसी अन्य क्षमताओं ओर आदतों का समावेश रहता है जिनमें मनुष्य समाज के सदस्य नाते प्राप्त करते हैं।"
- संस्कृति मानव की सामाजिक विरासत है, यह व्यक्ति को समाज का 'उपहार' है जो उसे समाज के सदस्य के नाते प्राप्त होता हैं। संस्कृति प्रकृति की देन नहीं बल्कि समाज की देन है तथा यह समाज का मानव को श्रेष्ठतक वरदान हैं।
- क्रोबर के अनुसार, "संस्कृति एक व्यवस्था है जिसमें हम जीवन में अनेक प्रतिमानों, व्यवहार के तरीकों, भौतिक और अभौतिक प्रतीकों, परंपराओं, विचारों, सामाजिक मूल्यों, मानवीय क्रियाओं और अविष्कारों को सम्मिलित करते हैं" अर्थात् मानव अपने पूर्वजों के ज्ञान के लाभा और स्वयं के अनुभवों को सम्मिलित करके जो कुछ भी अर्जित करता है, वह सभी उसकी संस्कृति का अंग हैं।
- ब्रूम तथा सेजनिक के अनुसार, "संस्कृति शब्द का अभिप्राय सामाजिक विरासत से हैं।"
- लुन्डबर्ग के अनुसार, "संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सामाजिक रूप से प्राप्त और आगामी पीढियों को हस्तांतरित कर दिए जाने वाले निर्णयों, विश्वासों, आचरणों और व्यवहार की परंपरागत प्रतिमानों से उत्पन्न होने वाले प्रतीकात्मक तथा भौतिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता हैं।"